

यह परिसर / भवन तम्बाकू मुक्त है

इस परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बिड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि उपयोग का पूर्णतः प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर रु 200 (दो सौ) तक का जुर्माना किया जाएगा।



यदि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान या चबाने वाला तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाया जाता है तो निम्नांकित पदाधिकारी को सूचित करें:-

नाम:

पदनाम: मोबाईल नं.



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम